



मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अंतर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)

बी.आर. विश्वकर्मा

प्रशासक

ताज केम्पस, नियर ताजुल मसाजिद, भोपाल

फोन - 2543175, 4256067 कार्यालय

2441210, निवास

2597172, 2441081 मंत्रालय

ई-मेल : mp_waqfboard@rediffmail.com

क्रमांक ----- प्रशा/01/06

प्रति,

दिनांक.....

श्री/जनाब -----

सदर, प्रबंध कमेटी,

वक्फ -----

विषय: वक्फों को नव निर्माण की स्वीकृति बाबत।

---00---

विभिन्न वक्फों की इन्तेजामिया कमेटी द्वारा नव निर्माण की स्वीकृति से प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

विकास एवं कल्याण की दृष्टि से यह एक अच्छा कदम है। ऐसे कार्यों की स्वीकृति लेकर बोर्ड कार्यालय द्वारा विलम्ब नहीं किया जाएगा।

गुजारिश है कि नव निर्माण के प्रस्ताव मंजूरी के लिये भेजते समय प्रस्ताव की तारीख तक या उससे पहले वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक चन्दा निगरानी वक्फ बोर्ड कार्यालय में जमा किया जाकर रसीद प्राप्त की हो, उस रसीद की प्रति तथा चालू वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक का आडिट करा लिया गया हो, उसका प्रमाण-पत्र साथ लगाएँ तभी मंजूरी देने में सहूलियत होगी।

आशा है इसका पालन किया जाएगा।

(बी. आर. विश्वकर्मा)

प्रशासक

म. प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल